न्यायालय सहा0 कलक्टर प्र0श्र0 / परगनाधिकारी,बाजपुर जिला उधम सिंह नगर
राजस्व वाद सं0 22 / 42 वर्ष 2010–11 धारा 143 ज0 वि0 एवं भू0 सु0 अधिनियम

प्रार्थी– पी0डी0जी0 कालेज आफ एजुकेशनल चिचपुरी बाजपुर तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर ।

बनाम

विपक्षी:– उत्तराखण्ड सरकार ।

अन्तर्गत धारा 143 ज0 वि0 एवं भू0सु0 अधिनियम

0————————————————0

C.F =13=0

C.F. 04
Rs 13=0

... टिकट कोष की धनराशि 13=00
... क्रमांक 56
...-पत्र की तिथि 1-4-11
... पट की तिथि 1-4-11
प्रतिलिपि देने की तिथि 1-4-11
... वाले ... के नाम छलविन्द्र सिंह एडवोकेट (वादी)

निरस्त

प्रतिलिपि कर्ता Mmar
... कर्ता Mmar
शब्दों की संख्या 450/-

COURT FEE
भारत INDIA
पांच रुपये
FIVE RUPEES
निरस्त

COURT FEE
भारत INDIA
पांच रुपये
FIVE RUPEES
निरस्त

सत्य प्रतिलिपि
Mmar
1/5/11
न्यायालय सहा० कलक्टर
परगनाधिकारी, बाजपुर ।

NOTARY
Shivraj Singh Rana
Advocate
Gadarpur/Bazpur
(U.S.N.) Uttarakhand
Red. No. 6 (06)
2011
Uttarakhand (India)

Photo Copy Attested
Shivraj Singh Rana
Advocate
Notary Public Gadarpur/Bazpur
(U.S.N.) Uttarakhand (India)

Chairman
P. D. G. College of Education
Bichpuri, Bazpur (U. S. Nagar) UK

न्यायालय सहा0 कलेक्टर प्र0श्रे0 / परगनाधिकारी,बाजपुर जिला उधम सिंह नगर।
राजस्व वाद सं0 22 / 42 वर्ष 2010—11 धारा 143 ज0 वि0 एवं भू0 सु0 अधिनियम

प्रार्थी :— पी0डी0जी0 कालेज आफ एजुकेशनल विचपुरी बाजपुर तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर ।

बनाम

विपक्षी :— उत्तराखण्ड सरकार ।

24—12—2010

आज पत्रावली पेश। पुकारने पर प्रार्थी पक्ष की ओर से गौरव रस्तोगी चेयरमैन एवं विपक्षी सरकार के विद्वान अधिवक्ता हाजिर । नियत तिथी को उभय पक्षों की मौखिक बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र दि0 07—12—10 पर प्राप्त चकबन्दी अधिकारी / तहसीलदार ,बाजपुर की आख्या कमशः दि0 14—12—10 व 23—12—10 पर संस्थित हुआ । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र में कथन किया है कि उनके नाम ग्राम विचपुरी तहसील बाजपुर के खसरा नं0 6/8 मि0 रकबा 0—405 है0 लगानी रू0 10—00 पै0 भूमि संकमणीय भूमिधर में दर्ज है । उपरोक्त आराजी पर खेती,कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन का कार्य नहीं हो रहा है । प्रार्थी उपरोक्त आराजी को व्यवसायिक प्रयोजन हेतु अकृषिक कराना चाहता है । इसलिए इस भूमि को अकृषिक घोषित कर दिया जाय । प्रार्थी ने अपने कथन की पुष्टि में प्रस्तुत अभिलखीय साक्ष्य खतौनी ग्राम विचपुरी तहसील बाजपुर 1398 फ0 से 1403 फ0 के खाता सं0 17 में उपरोक्त आराजी प्रार्थी के नाम संकमणीय भूमिधरी में दर्ज अभिलेख है । प्रश्नगत मामले में तहसीलदार बाजपुर से वाँछित आख्या प्राप्त की गई । तहसीलदार बाजपुर की आख्या दिनांक 23—12—10 मय र0का0 की आख्या के साथ एवं चकबन्दी अधिकारी बाजपुर की आख्या दि0 14—12—10 सहा0 चकबन्दी अधिकारी बाजपुर की आख्या के साथ मय ट्रेसिंग नकशे के साथ प्राप्त हुई। प्राप्त आख्याओं के अनुसार उपरोक्त आराजी पर खेती,कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन का कार्य नहीं हो रहा है । उपरोक्त आराजी परती पडी है और सीलिंग से प्रभावित नही है। ट्रेसिंग नकशे में प्रश्नगत भूमि को लाल लाइन से प्रदर्शित किया गया है।

प्रार्थी ने अपनी मौखिक बहस में कहा कि उपरोक्त आराजी पर खेती का कार्य,मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन का कार्य नहीं हो रहा है। उपरोक्त आराजी परती पडी है तथा भूमि अकृषिक है। इसलिए उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित कर दिया जाय ।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी मौखिक बहस में यही कहा कि तहसीलदार [illegible] की आख्यानुसार उपरोक्त आराजी पर खेती,कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन का कार्य नही हो [illegible] है । उपरोक्त भूमि परती पडी होना तथा भूमि अकृषिक होना तस्दीक हुआ है। इसलिए तदनुसार [illegible] कार्यवाही की जाय ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उपरोक्त आराजी में [illegible] कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन का कार्य नहीं हो रहा है । उपरोक्त आराजी पर खेती,कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन का कार्य नहीं हो रहा है । भूमि परती पडी है तथा भूमि अकृषिक है और सीलिंग से प्रभावित नहीं है । जिसकी पुष्टि ,र0का0 एवं चकबन्दी अधिकारी,बाजपुर की आख्याओं से होती है । इस प्रकार भूमि के अकृषिक होने के कारण उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना [illegible] प्रतीत होता है ।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र दि0 07—12—10 एवं चकबन्दी अधि0, बाजपुर की आख्या दिनांक 14—12—10 को स्वीकार किया जाता है और ग्राम विचपुरी तहसील बाजपुर के खसरा नं0 6/8 मि0 रकबा 0—405 है0 लगानी रू0 10—00 पै0 भूमि को ज0 वि0 एवं भू0 सु0 अधिनियम की धारा 143 के तहत अकृषिक घोषित कर लगान से मुक्त किया जाता है । इसी अनुसार घोषणा पत्र एवं परवाना अमलदरामद जारी किया जाय।पत्रावली बाद आ0 का0 माल अभिलेखागार को संचित हो ।

(फिंचाराम चौहान)
सहा0 कलेक्टर प्र0 श्रे0 / परगनाधिकारी
बाजपुर जिला उधम सिंह नगर

Photo Copy Attested
Shivraj Singh Rana
Advocate
Notary Public Gadarpur/Bazpur
(U.S.N.) Uttarakhand (India)

NOTARY
Shivraj Singh Rana
Advocate
Gadarpur/Bazpur
(U.S.N.) Uttarakhand
Regd. No. 46 (03)
2011
Govt. of Uttarakhand (India)

Chairman
P. D. G. College of Education
Bichpuri, Bazpur (U. S. Nagar) UK